जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

प्रशासन विभाग

जनेप/प्रशा./का.एवं औ.सं./वि.स्वै.नि.-जनेप न्यास/2021/112 दिनांक: 01/09/2021

परिपत्र

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ने पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के दिनांक 13.11.2020 के पत्र सं. एलबी-16016/4/2014-एल द्वारा जारी मानक दिशानिर्देशों के अनुसार सभी पात्र कर्मचारियों के लिए एक विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है ।

1.<u>शीर्षक</u> :

इसके पश्चात इस योजना को **'जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना - 2021 (जेएनपीटी-एसवीआरएस-2021)'** कहा जाएगा।

2. <u>पात्रता</u> :

यह योजना पत्तन के उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी जिन्हौंने नोटिस अवधि पूरी होने की तिथि को 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तथा जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है।

3. <u>यह योजना उन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगी</u> :

क) आकस्मिक/संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी, यदि कोई हो;

ख) अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी;

ग) ऐसे कर्मचारी जो अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्त पर है और जिन्होने उन संगठनों में स्थायी आमेलन का विकल्प अपनाया है ।

4. <u>विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना - 2021 की मुख्य विशेषताएं :</u>

(क) विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना छह महीने की अवधि अर्थात 01.09.2021 से 28.02.2022 तक के लिए लागू होगी जिसमें नोटिस की अवधि भी शामिल है । पात्र कर्मचारी जो विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हे विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपना अनुरोध ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा और उसकी विधिवत हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी रिपोर्टिंग अधिकारी के माध्यम से संबंधित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करनी होंगी । आवेदन जमा करने के लिए vms.jnport.com:9092 लिंक का उपयोग करें, उक्त लिंक जेएनपीटी के आंतरिक नेटवर्क पर उपलब्ध है।

(ख) कर्मचारी नोटिस अवधि पूर्ण होने से पहले अपना विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन वापस ले सकते हैं।

(ग) विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोधों पर विचार करने का अधिकार प्रबंधन का होगा। लिखित रूप में कारण देते हुए किसी भी आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार प्रबंधन का होगा। विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदनों की स्वीकृति प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होगी।

(घ) प्राप्त सभी आवेदनों की प्रबंधन द्वारा जांच की जाएगी और नोटिस अवधि के भीतर संबंधित कर्मचारियों को आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में सूचित किया जाएगा।

(ङ) सभी कर्मचारी, जिनके विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन स्वीकृत हुए हैं, वें उनके स्वीकृति पत्र में उल्लिखित तारीख को जनेप न्यास के कर्मचारी के रूप में स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

5. <u>योजना के लाभ :</u>

विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ लेने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर सेवामुक्ति की तारीख (स्वीकृति पत्र के अनुसार) से जनेप न्यास की सेवा से स्वेच्छा से सेवानिवृत माना जाएगा। वे नीचे उल्लिखित लाभों के अलावा किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे :-

(क) <u>स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना मुआवजा</u> :

i) विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए डेढ़ महीने की परिलब्धियों (मूल वेतन और मंहगाई भत्ता) के बराबर अनुग्रह राशि या सेवा के शेष महीनों के लिए देय परिलब्धियों के मूल्य, जो भी कम हो, के भुगतान के हकदार होंगे ।

ii) वे सभी जिन्होंने कम से कम 30 वर्ष की सेवा पूरी की है, मुआवजे के रूप में अधिकतम 60 (साठ) महीने के वेतन/मजदूरी के लिए पात्र होंगे । यह राशि शेष सेवा अवधि (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय मासिक वेतन/मजदूरी की दर पर) के वेतन/मजदूरी की राशि से अधिक नहीं होगी ।

(ख) <u>नोटिस अवधि</u> :

कर्मचारी लागू सेवा शर्तों के अनुसार 3 महीने की नोटिस देंगे।

(ग) <u>ऋणों का निपटान</u> : विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को जनेप न्यास से सेवामुक्त अन्य कर्मचारी के लिए लागू मानदंडों के अनुसार सभी बकाया ऋणों/अन्य देय राशियों का ब्याज सहित निपटान करना होगा।

(घ) <u>अन्य लाभ</u> : जो कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं, वें अन्य टर्मिनल लाभ यथा भविष्य निधि खाते में शेष राशि, संचित अर्जित अवकाशों के समकक्ष राशि, ग्रेच्युटी, पेंशन, इस संबंध में मौजूदा नियमों /जेएनपीटी विनियमों के अनुसार कम्यूटेशन के लिए पात्र होंगे ।

(च) **<u>चिकित्सा लाभ</u>** : जवाहरलाल नेहरू पत्तन (सेवानिवृत्ति) विनियम, 1995 के साथ पठित जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (सेवानिवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा लाभ) विनियम, 1997 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ योजना शामिल है। यदि विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति विकल्प का चयन करनेवाले कर्मचारी उपरोक्त चिकित्सा योजना की प्रयोज्यता के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं, तो वें उक्त योजना के तहत चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

6. **<u>आवेदन स्वीकार/ अस्वीकार करने का अधिकार</u>:**

आवेदन स्वीकार/ अस्वीकार करने का अधिकार: पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बावजूद, जनेप न्यास विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति - 2021 के तहत कर्मचारी को सेवामुक्त करने का अधिकार प्रबंधन का होगा।

प्रबंधन आवेदनों की जांच के बाद प्रबंधन लिखित कारण बताकर किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

7. **<u>पुन: रोजगार पर प्रतिबंध</u>:**

उक्त योजना के तहत विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुननेवाले कर्मचारी पत्तन क्षेत्र में पुन: रोजगार के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, ऐसे कर्मचारियों के सरकारी क्षेत्र में पुन: रोजगार पर कोई रोक नहीं होगी।

8. <u>विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी</u>:

विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदनों की स्वीकृति/अस्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष, जनेप न्यास होंगे।

9. <u>आयकर कटौती</u>:

उक्त योजना के तहत प्राप्त लाभों के संबंध में आयकर देयता, यदि कोई हो, पूरी तरह से कर्मचारी की होगी और लागू आयकर नियमों के अनुसार स्रोत से कर कटौती की जाएगी।

10. यह योजना निम्नलिखित कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी:

i) जिनके विरुद्ध जनेप न्यास द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक अदालत में मुकदमा चल रहा है और जिनकी अनुशासनात्मक कार्रवाई के परिणामस्वरूप बर्खास्तगी/सेवा समाप्ति की संभावना है।

ii) जिन्हे बर्खास्तगी, सेवामुक्ति, सेवा की समाप्ति या नियुक्ति पर ग्रहणाधिकार के नुकसान के कारण सेवामुक्त किया हो।

iii) जिन्होंने जनेप न्यास की सेवा का त्याग किया हो।

iv) ऐसे कर्मचारी जिनके और जनेप न्यास के बीच कोई विवाद/मामला लंबित हो ऐसे मामले में जब तक हस्ताक्षर करने वाले कर्मचारी द्वारा उसे कानूनी रूप से वापस या बंद नहीं किया जाता है।

v) ऐसे कर्मचारी जिन्हे सतर्कता अनापत्ति प्राप्त नहीं हुई हो।

11. जनेप न्यास कर्मचारी (आवास का आवंटन) विनियमावाली के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कर्मचारी आवास के संबंध में लागू नियम और शर्तें यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

12. विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों/रिश्तेदारों का जनेप न्यास या इसकी सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यम कंपनियों में रोजगार के लिए कोई दावा नहीं होगा।

13. कर्मचारी को योजना के तहत देय लाभों के सभी दावों का पूर्ण और अंतिम निपटान होगा, चाहे वह योजना के तहत या अन्यथा हो (कर्मचारी के मृत्यु के मामले में कर्मचारी द्वारा नामित व्यक्ति को) । जो कर्मचारी योजना के तहत स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुआ है, पुनर्नियोजन या मुआवजे या किसी अन्य प्रकार की राहत के मामले में जनेप न्यास के विरुद्ध कोई दावा नहीं करेगा और उसके द्वारा या उसकी ओर से कोई मांग या विवाद नहीं उठाया जाएगा।

14. यह योजना विशेष, स्वैच्छिक और गैर-संशोधनीय है और इसे अधिकार की विषय वस्तु के रूप में माना नहीं जा सकता है। यह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के तहत किसी भी औद्योगिक विवाद का विषय नहीं होगा और इसे भविष्य में पूर्वोदाहरण, प्रथा, दृढ़धारणा, प्रचलन या दस्तूर और समय के रूप में उद्धृत नहीं किया जाएगा।

15. यह माना जाएगा कि जनेप न्यास विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना - 2021 के विकल्प का चयन करने वाले कर्मचारी ने सभी नियमों और शर्तों को पूरी तरह से समझने के बाद इस विकल्प का चयन किया है और व्यापक पैकेज के आधार पर उसमें उल्लिखित शर्तों का पूरी तरह से पालन करने के लिए सहमत है।

(जयवंत बी.ढवले)
मुख्य प्रबंधक (प्रशासन) एवं सचिव

सेवा में,
सभी सूचना पट्ट